भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 337

बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य</u>

337. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उनके ऋण का एक भाग देने के लिए बातचीत कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही उधारकर्ताओं को सौर आधारित विद्युत जनरेटरों, बायोमास आधारित विद्युत जनरेटरों, पवन चक्कियों, माइक्रो-हाइडल संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे प्रयोजनों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वर्गीकरण के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए की सीमा तक के बैंक ऋणों को शामिल कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) जी, हाँ। कॉप-26 में माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य कर रही है। दिनाँक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 211.40 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

(ख) वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता सहित अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में, सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण की अधिक उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं हेतु 3 किलोवाट क्षमता तक रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में 10 वर्षों की अवधि के साथ 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर रहे हैं। उपभोक्ता, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से वित्तपोषण का विकल्प भी चुन सकता है। राष्ट्रीय पोर्टल पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ऋण उत्पाद उपलब्ध हैं और उपभोक्ता, जन समर्थ पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराए गए एकीकरण के माध्यम से या अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सीधे उनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

इसके अलावा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा), आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), और कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।

(ग) और (घ): भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादकों, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादकों, पवन चक्कियाँ, सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्रों और गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों और सुदूर गांवों में विद्युत आपूर्ति आदि के लिए उधारकर्ताओं को 30 करोड़ रु. की सीमा तक दिये जाने वाले बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत परिवार के लिए, ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता 10 लाख रु. है।

*****